तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 1496 / 2004 / जैसलमेर** **सरकार बनाम भंवर सिंह**	
19.11.20	**<u>एकल पीठ</u>** **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** **उपस्थितिः–** श्री लोकेन्द्र सिंह राजावत, राज0 उप अधिवक्ता प्रार्थी श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी **<u>निर्णय</u>** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय अति0 आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर द्वारा प्रकरण संख्या 374/2004 में पारित आदेश दिनांक 12–02–2004 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी गई। प्रार्थी पक्ष के योग्य राजकीय अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण/वादीगण ने उपायुक्त, उप निवेशन, नाचना के समक्ष एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा खातेदारी प्रस्तुत किया जिसके साथ में प्रार्थना पत्र धारा 212 आर0टी0ए0 के तहत भी प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र को उपायुक्त, उप निवेशन, नाचना ने निर्णय दिनांक 27–1–2004 से खारिज किया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील न्यायालय अति0 आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे उनके आदेश दिनांक 12–2–2004 से अविधिक रुप से स्वीकार कर वाद के निस्तारण तक स्थगन आदेश जारी किया कि अपीलार्थी को बेदखल नहीं करें। योग्य राजकीय अधिवक्ता का बहस में कथन रहा है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया है कि प्रश्नगत आराजी राजकीय भूमि है और इस पर अप्रार्थीगण का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही अप्रार्थीगण की खातेदारी में है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रश्नगत आराजी को सही प्रकार से सिवायचक अंकित किया है जिस पर अप्रार्थीगण को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रावधानों के विपरीत जाते हुए निर्णय पारित किया है। अतः निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जाये और उपायुक्त, उप निवेशन, नाचना के निर्णय दिनांक 27–1–2004 को बहाल किया जाए।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 1496 / 2004 / जैसलमेर** **सरकार बनाम भंवर सिंह**	
	योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष की ओर से बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के पिता के नाम ग्राम घंटियाली के खसरा नम्बर 326 से 338 रकबा 212 बीघा 10 बिस्वा समरी सैटलमैंट में दर्ज हुआ था। इसके बाद इस भूमि की जमाबंदी व ढाल–वांछ बनी है जिसमें अप्रार्थीगण गैर खातेदार के रुप में दर्ज हैं। ग्राम सत्याया व ग्राम धण्टियाली की सरहद आपस में मिलती हैं और नये खसरा नम्बरान ग्राम सत्याया की रोही में चले गये हैं। प्रश्नगत भूमि पर अप्रार्थीगण का पुराना कब्जा काश्त है, अतः अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु अप्रार्थीगण के पक्ष मे हैं। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी अप्रार्थीगण का पुराना कब्जा काश्त होना अपने निर्णय में माना है। अप्रार्थीगण को बिना सुनवाई का मौका दिए सिवाय चक दर्ज कर दिया गया है, मूल दावा अभी लंबित है और दावे के निस्तारण से पूर्व यदि अप्रार्थीगण को बेदखल कर दिया जाता है तो दावे का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने टी0आई0 के तीनों बिन्दुओं को देखते हुये ही प्रकरण में स्थगन जारी किया है। निगरानी का दायर सीमित होता है और निगरानी के सीमित दायरे के तहत अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाए। योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अध्ययन–अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम घण्टियाली की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2019–34, भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी पर्चा लगान खाता संख्या 129 की फोटो प्रति, पर्चा नोटिस की फोटो प्रति, धारा 22 के नोटिस दिनांक 2–4–1979 की फोटो प्रति, धारा 22 के नोटिस दिनांक 15–10–2003, अतिक्रमण के विवरण की फोटो प्रतियां, ढाल बांछ सम्वत् 2013, 2036, जमाबंदी सम्वत् 2033–34 की फोटो प्रतियों को देखते हुये अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थीगण का प्रश्नगत आराजी पर पुराना कब्जा होना माना है। साथ ही ये भी अंकित किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया हुआ है। इस प्रकार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने दावे के निस्तारण तक विवादित आराजी से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाना न्याय संगत नहीं माना है। स्पष्ट है कि प्रकरण में अभी मूल वाद का निस्तारण होना शेष है जिसमें साक्ष्य–शहादत के आधार पर मूल विवाद बिन्दु का निर्धारण हो सकेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं को निर्णय पारित करते समय ध्यान में रखा है। अतः हमारे मतानुसार न्याय हित में मूल वाद के निस्तारण होने तक अप्रार्थीगण को बेदखल नहीं करने बाबत् जो स्थगन जारी किया है उसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टि0ए0 / 1496 / 2004 / जैसलमेर** **सरकार बनाम भंवर सिंह**	
	निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित होता है और निगरानी के सीमित दायरे को देखते हुये इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं मानते हैं। अतः निगरानी में किसी प्रकार का सार नहीं होने से निगरानी **खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	